

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म०प्र०भोपाल

क्रमांक/निस/213

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2001

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
समस्त वनमंडलाधिकारी
मध्यप्रदेश.

विषय :- सीमा मुनारों का निर्माण ।

वन सीमा मुनारों के निर्माण हेतु आपको मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध द्वारा बजट आवंटन किया गया है जिसके अनुसार आपके द्वारा मुनारा निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में आपको पूर्व में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं किन्तु कुछ वन संरक्षकों से इस संबंध में की गई चर्चा के संदर्भ में निम्ननिर्देश दिये जाते हैं :-

1- मुनारा निर्माण स्थल का सत्यापन उप वनमंडलाधिकारी/वनमंडलाधिकारी द्वारा किये जाने के पश्चात् ही निर्माण कार्य किया जाय । जहां वन सीमा विवाद है वहां विवाद के निराकरण के पश्चात् मुनारा निर्माण किया जाय ।

2- प्रत्येक परिक्षेत्र हेतु कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा मैनेजमेंट मैप तैयार किया जाता है जिसमें मुनारों की स्थिति दर्शायी जाती है । इस नक्शे पर -

1- पूर्व वर्षों में बनाये गये समस्त मुनारों को काले रंग से अंकित किया जाय ।

2- इस वर्ष बनने वाले सभी मुनारे को हरे रंग से अंकित किया जाय ।

3- इसी प्रकार अगले वर्ष बनने वाले मुनारे नीले रंग से, उससे अगले वर्ष बनने वाले मुनारे पीले रंग से और सबसे अंत में बनने वाले मुनारों को लाल रंग से दर्शाया जायगा ।

3- जो उप वनमंडलाधिकारी, वनमंडलाधिकारी, वन संरक्षक आदि जो भी मैके पर मुनारे की जांच करेंगे उसी तक्शे पर (मुनारे की चेकिंग किया लिख कर) हस्ताक्षर कर देंगे

ताकि मुनारा चेकिंग करने वाले सभी अधिकारियों की जानकारी उसी नक्शे पर ही उपलब्ध हो जाय ।

4— इस वर्ष बनने वाले मुनारे पर 01/01, 01/02 आदि क्रमांक डाले जायेंगे ताकि मुनारा देखने से स्पष्ट हो जाय कि यह मुनारा वर्ष 2001 में बना है ।

5— मुनारों का निर्माण निर्धारित डिजाइन के अनुसार किया जाय और उसकी पर्याप्त तराई की जाय ताकि निर्माण की क्वालिटी उत्तम रहे ।

6— पत्थर से बनाये गये मुनारों में सीमेंट रेत 1:3, 1:4 के मसाले से अच्छी टीप भर दी जाय । सीमेंट प्लास्टर की आवश्यकता नहीं है । यह टीप की अपेक्षा कम टिकाऊ भी है ।

मुनारा निर्माण कार्य का सत्यापन भारत शासन के अधिकारियों द्वारा किया जाकर इस संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय को प्रतिवेदन दिया जायगा अतः इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी व निष्ठा के साथ संपन्न करें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म०प्र०भोपाल

पृ०क०/निस/214
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2001

1—श्री ए०के० दुबे मुख्य वन, संरक्षक (भूप्रबंध) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया आप व आपकी शाखा के अधिकारी क्षेत्र निरीक्षण में उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।

2—समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया क्षेत्रीय दौरे में सीमा मुनारों के निर्माण के संबंध में उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म०प्र०भोपाल